

वि.सं. नां. प्र.सं. - 1401

परिशिष्ट-अ

89. गलतियों को ठीक करने की उपखंड अधिकारी की शक्ति - उपखंड अधिकारी, राजस्व सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात् तथा बंदोबस्त की अवधि के दौरान किसी सर्वेक्षण संख्यांक या खाते के क्षेत्रफल या निर्धारण में की किसी ऐसी गलती को, जो सर्वेक्षण में हुई भूल या गणना करने में हुई भूल के कारण हुई हो, ठीक कर सकेगा:

परंतु ऐसी गलती को ठीक करने के कारण भू-राजस्व का कोई बकाया देय नहीं हो जाएगा।